न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 257 /2022
जीसीएमएस संख्या—2022/338

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
पुकाराम पुत्र घीसाराम हीराराम पुत्र घीसाराम जातियान सुथार निवासीगण मादलिया		मादाराम पुत्र ठाकरराम जाति जाट नि. मादलिया भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह—प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः— 07/08/2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः— ग्राम मादलिया तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या एक की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 216 (दौ सौ सोलह) क्षेत्रफल 0.6796 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि आयी हुई है तथा प्रार्थी संख्या दो की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 216/1 (दौ सौ सोलह बट्टा एक) क्षेत्रफल 1.4562 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त भूमि के पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या एक की भूमि खसरा नम्बर 217 क्षेत्रफल 2.3542 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि व अप्रार्थी संख्या एक की भूमि के बीच में राज्य सरकार द्वारा पुराना धोरा लगा रखा है। धोरा के पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या एक काबिज होकर काश्त कर रहा है व धोरा के पश्चिमी तरफ प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में काबिज होकर काश्त कार्य करते आये है। अप्रार्थी संख्या एक राज्य सरकार द्वारा लगाया धोरा अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है इसलिए न्यायहित में वादग्रस्त आराजी के पूर्वी तरफ की सीमा पर पत्थरगढी / मुडागढी करवाई जावें। वादग्रस्त भूमि की पेमाईश की जाकर सीमाज्ञान किया जाकर वादग्रस्त भूमि का नाप चोप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाई जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार में राशि जमा करवा देंगा एवं कमिश्नर फीस अदा करवा देगा। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डें उपलब्ध करवा देगा एंव मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगा एंव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देगा। अप्रार्थी संख्या 2 को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार संयोजित किया गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम मादलिया की राजस्व सीमा में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है एंव अंदरमियाद पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम मादलिया में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 216 क्षेत्रफल 0.6796 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 216/1 क्षेत्रफल 1.4562 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करवाई जाकर सीमा कायम करके पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करने का आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिनमें से अप्रार्थी संख्या 01 का नोटिस बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम मादलिया के खसरा नम्बर 216 रकबा 0.6796 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 216/1 रकबा 1.4562 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा कि ग्राम मादलिया के खसरा नम्बर 216 रकबा 0.6796 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 216/1 रकबा 1.4562 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थी वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थी पीढ़ियों से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि मौके पर खड़ी खरीफ फसल कटाई के पश्चात् राजस्व ग्राम मादलिया के खसरा नम्बर 216 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 216/1 रकबा 1.4562 हैक्टेयर भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे।

आदेश

प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड शहर को आदेश दिया जाता है कि मौके पर खड़ी खरीफ फसल कटाई के पश्चात राजस्य ग्राम मादलिया के खसरा नम्बर 216 रकबा 0.6796 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 216/1 रकबा 1.4562 हैक्टेयर भूमि का टीम गठित कर नापचौक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो । बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
सहायक कलकक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 07/08/2025 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
सहायक कलकक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर